


भारत एवं श्री  
आदि के हस्ताक्षर

# रीवा कैम्प

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ₹म०पु०



214  
24.4.13

R-2123-III/13

अधिवक्ता श्री लजपत  
सिन्हा द्वारा प्राप्त  
रीवा दि. 24.4.13

24.4.13

30517

[Signature]

[Signature]

- 1. रामखोक्क ,            § तीनों के पिता मंगल लोनिया,
- 2. काशीनाथ ,           § सभी नि० ग्वा० पड़रिया , तह०
- 3. सुखाल                 § रायपुर कर्चु० , जि०रीवा ₹म०पु०
- 4. कैलाश लोनिया     § तीनों के पिता रामगरीब लोनिया,
- 5. बुद्धसैन लोनिया   § तीनों नि० पड़रिया , तह०रायपुर कर्चु०
- 6. जगदीश लोनिया     § जिला-रीवा ₹म०पु०
- 7. सुरेन्द्र                § दोनों के पिता रामाधार ,
- 8. रमेश                   § सभी नि० ~~रायपुर कर्चु०~~ ग्वा० झांझर , तह०
- 9. बेवा उमरिया पत्नी रामाधार § रायपुर कर्चु०, जि०रीवा ₹म०पु०-
- 10. बेवा रामरती पत्नी बैजनाथ § दोनों नि० झांझर, तह० रायपुर
- 11. हीरालाल तनय बैजनाथ § कर्चु० , जि० रीवा ₹म०पु०
- 12. सुखनिधान पुत्र स्व० महरजुआ, नि० ग्वा० उलही, तह०रायपुर
- 13. शिवकलिया पत्नी श्यामलाल , नि० बहेराडाबर, तह० मन्नाज
- जिला-रीवा ₹म०पु०
- 14. सुक्की पत्नी अयोध्या प्रसाद नि० ग्वा० रामडीह, तह० गोपदबन तस
- जिला-सीधी ₹म०पु०
- 15. कोटवा पत्नी राजबहोर , नि० ग्वा० झांझर तह० रायपुर कर्चु०
- जिला-रीवा ₹म०पु०                 -----निगरानीकर्ता/आवेदकगण
- बनाम
- 18. रामकृपाल           § दोनों के पिता ~~सुरेशचन्द्र~~ परमेश्वर लोनिया
- 22. महाबीर               § दोनों नि० पड़रिया, तह० रायपुर कर्चु० रीवा
- 33. श्रीमती मनबसुआ पत्नी रामलाल पुत्री परमेश्वर लोनिया नि०
- ग्वा० बांसी, तह० हजूर, जिला-रीवा ₹म०पु०

[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... २०३-३३/१३..... जिला-रीवा.....

रामबेलावन लोमिया विरुद्ध रातकृपाल लोमिया

(1)	(2)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री...<del>रातकृपाल लोमिया</del>... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला-रीवा... के प्रकरण क्रमांक... 303 (316) गि.प्र. 11/12... में पारित आदेश दिनांक... 19-03-2013... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक... 02-03-19... को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p>